डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.

पंजीयन क्रमांक
[illegible]

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2009—अग्रहायण 6, शक 1931

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-51/दो-गृह/गपुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल आरक्षक संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 कहलायेंगे।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें.** — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम– 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम–12 के अधीन भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगी परीक्षा;
   (ग) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक मापतौल तथा शारीरिक प्रवीणता टेस्ट;
   (घ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, लिखित परीक्षा;
   (ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
   (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है तृतीय वर्ग कार्यपालिक के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार बल में आरक्षक (दूरसंचार), आरक्षक (जनरल ड्यूटी), आरक्षक (ट्रेडमेन), आरक्षक (सहायक), आरक्षक (डी.आर) एवं आरक्षक चालक।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** — सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा।

परंतु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **चयन समिति** :— (1) इस उप नियम के अधीन सीधी भर्ती किये जाने के प्रयोजन हेतु बनाये गये चयन समिति का गठन निम्नानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) द्वारा किया जाएगा—

1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)	—	अध्यक्ष
2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	—	सदस्य
3 उप पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	—	सदस्य

परन्तु चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा। जिसमें पुलिस दूरसंचार बल छत्तीसगढ़ में यदि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक के स्तर का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो अन्य इकाई से समतुल्य श्रेणी के अधिकारी को लिया जा सकेगा।

(2) सहसमितियां:— शारीरिक माप तथा शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए तथा माप के रिकार्ड रखने हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार सहसमिति का गठन किया जा सकेगा। इन समिति के सदस्य प्रदर्शनीय/मूल्यांकन के रिकार्ड संधारण करने हेतु प्रमाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे। चयन समिति उपयुक्त अपेक्षित मामलों में पुनः माप हेतु स्वतंत्र होगी।

(3) परन्तु पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार), सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उपर्युक्त समिति से भिन्न चयन समिति भी गठित कर सकेगा।

7. **भर्ती का तरीका** :— (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा, सीधी भर्ती नियम-6 में उल्लेखित अनुसार चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा भर्ती किये जाने हेतु व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा हेतु

भर्ती के ऐसे तरीकों से भिन्न विनिर्दिष्ट तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(4) भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यर्थी को निहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करते समय उस विशिष्ट पद का उल्लेख करना चाहिए।

(5) वह (अभ्यर्थी) अनर्ह समझा जावेगा, यदि अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देता है या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाता है। ऐसा कृत्य करने पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नही होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई पूर्व सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी ।

(6) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :–

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीन – आवेदन फार्म की छानबीन करते हुए, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। यथासम्भव आवेदन फार्म लेने के पश्चात् समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड होगी।

(दो) शारीरिक माप का मान – प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख नियम 9 के अनुसार (आँखों की दृष्टि, एवं आँखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल शारीरिक नापजोख टेस्ट में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा – शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) में निम्नानुसार स्पर्धाएँ होगी जो केवल क्वालीफाईंग होगी –

स. क्र.	पुरूषों के लिए निर्धारित समयावधि	महिलाओं के निर्धारित समयावधि
1	400 मीटर दौड़–01 मिनिट 30 सेकण्ड	400 मी. दौड़ – 01 मिनिट 45 सेकण्ड
2	1500 मी. दौड़–05 मिनिट 50 सेकण्ड	800 मी. दौड़ – 3 मिनिट 45 सेकण्ड
3	05 कि.मी.दौड़ / चाल – 40 मिनिट	05 कि.मी.दौड / चाल – 55 मिनिट

यह स्पर्धाएं क्वालीफाईंग होगी, उपरोक्त स्पर्धाओं में क्वालीफाईंग न करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जावेगा।

अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी, चयन समिति के समक्ष अपील कर सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जावेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नही कराई जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का तत्काल रिकार्ड रखने, विवादों को समाप्त कर परीक्षा प्रवेश–पत्र का कार्य करने वाला एक बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना संलग्न है, जिसे अनिवार्यतः अपनाया जावे।

(चार) लिखित परीक्षा :–शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जावेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।

आरक्षक (दूरसंचार), आरक्षक (जीडी), तथा आरक्षक (डी.आर) पद के लिये लिखित परीक्षा निम्न प्रकार होगी :–

(अ) आरक्षक (दूरसंचार) पद :–

(1) अंग्रेजी में डिक्टेशन और हैंडराइटिंग टेस्ट – 25 अंक

(2) गणित ,सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान – 75 अंक

(ब) छत्तीसगढ़ शासन के [illegible] क्रमांक एफ 2–33 / दो–(गृह) / एस.पी.एस / 2007 दिनांक [illegible] अनुमोदित छत्तीसगढ़ पुलिस [illegible] आरक्षक भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 [illegible] (जी.डी.) / [illegible] आरक्षक (ट्रेडमैन) / [illegible] / [illegible] भर्ती में लागू होगी।

[illegible] उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा [illegible] लिये जायेंगे। लिखित परीक्षा [illegible] का [illegible] करने वाले अधिकारी [illegible] पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। [illegible] प्रश्न एवं आदर्श उत्तर पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा बनाये जावेंगे। [illegible] संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त / अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा [illegible] सकता है। आरक्षक (चालक) पद हेतु भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है [illegible] टेस्ट देना होगा जिसके 100 अंक होंगे। आरक्षक (ट्रेडमैन) हेतु अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड का [illegible] जिसके 100 अंक होंगे। इन दोनों पदों के अभ्यर्थियों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट [illegible] होगा किन्तु वह लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। [illegible] अंकों की पात्रता [illegible] (जी.डी.) आरक्षक (डी आर) हेतु लागू होगी, शेष नियम आरक्षक (जी.डी.) के अनुसार होंगे। [illegible] पद हेतु वही अर्हता होगी जो आरक्षक (जी.डी.) पद हेतु निर्धारित है।

(पांच) बोनस अंक – नीचे उल्लेखित शीर्ष के अधीन विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष [illegible] अंक निर्धारित हैं :–

(क) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, [illegible] राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता [illegible] जिसका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, को ही [illegible] जायेगी।

(छः) चयन सूची :– कुल पूर्णांक 105, बोनस के 05 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। लिखित परीक्षा–100 बोनस अंक–05 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। लिखित परीक्षा एवं बोनस अंकों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची बनाई जावेगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी। इस सूची में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी योग्यता भी पूरी करते है। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके अपने–अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जावेगी।

यह सूची तैयार होने के पश्चात् होमगार्ड के लिये आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये खण्डवार आरक्षण को प्रभावी करना होगा। यदि उपरोक्त सूचियों में पहले ही कुल 25 प्रतिशत होमगार्ड अभ्यर्थी नहीं है तो परीक्षा में शामिल सभी होमगार्ड की सूची मेरिट क्रम में तैयार की जावेगी तथा मेरिट क्रम में 25 प्रतिशत के मान से नाम पृथक किये जायेंगे और फिर इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संधारित अनारक्षित पदों एवं आरक्षित पदों की सूचियों में सम्मिलित किया जावेगा, जितने कि 25 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने के लिये आवश्यक हो। केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही, नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी। इसके प्रतिस्थापना प्रक्रिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे क्रम के गैर होमगार्ड अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जायेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाये जाने से कोई भी पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं होंगे बल्कि ऐसे पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

महिलाओं के लिये आरक्षित पदों के लिये पृथक सूचियां तैयार की जायेगी किन्तु महिलाओं का आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलायें उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किये जायेंगे अतः जिस वर्गवार की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जावेगा।

(सात) चयन सूची का अनुमोदन – परीक्षा के पश्चात्, चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार समस्त आवश्यक रिकार्ड के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) को अनुमोदन हेतु भेजी जावेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित [illegible] के अनुसार सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) चयन सूची का अनुमोदन के समय परीक्षण करेंगे कि –

(क) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

(ख) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

(ग) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई जो पक्षपातपूर्ण नहीं प्रतीत होती हो?

(घ) कोई अन्य स्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

यदि पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) उपरोक्त त्रुटि पाते हैं तो भर्ती की कार्यवाही निरस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी करेंगे। निरस्तीकरण आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जावेगी। केवल एक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जावेगी जब तक कि यह स्पष्ट न हो जावे कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनश्रुतियों के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जायेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जावेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे। अनुमोदन के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) सभी आवश्यक रिकार्ड एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु बुला सकेंगे।

8. **सेवा में नियुक्ति** – (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–7 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं। नियुक्ति आदेश, चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेंगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण संचालित/पूरी की जावेगी। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप होने और निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी कर पदस्थापना इकाई में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का पालन करते हुए जिला/इकाईयों के भर्ती आरक्षण रोस्टर के अनुसार पृथक–पृथक पदों का विभाजन विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(क) भूतपूर्व सैनिकों के शासकीय सेवा में तृतीय वर्ग पद हेतु 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जावेगा।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्र. एफ–13–9/दो–गृह/2005, दिनांक 16.1.2007 के अधीन स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जावेगा।

(ग) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण रहेगा।

9. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें**– अभ्यर्थियों को पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(1) आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(4) **आयु** – (क) विज्ञापन जारी होने की तारीख को जिसने अनुसूची–दो के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्षों तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी:–

(एक) कोई अन्य भी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – शब्द 'छटनी' किये गये सरकारी कर्मचारी से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:– पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित **प्रवर्गों** में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन–पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई को सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अविशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो –

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सैवानिवृत्त रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हो, और जिन्हें:–
(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है) जो उनकी सविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हो;

(4) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(घ) अभ्यर्थी में नाकनी, फलेट फुट नहीं होना चाहिए। नॉकनी एवं फलेट फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। चिकित्सीय कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये।

(6) **शैक्षणिक अर्हताएं.** –अभ्यर्थी के पास अनुसूची–दो में उल्लिखित सेवा के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिये।

1. आरक्षक (दूरसंचार)–10+2 (12वीं) अथवा हायर सेकण्डरी परीक्षा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित विषयों के साथ) उत्तीर्ण होना चाहिये।

2. अन्य आरक्षक संवर्ग, (सहायक/ट्रेडमेन/डी.आर/चालक)के लिये–10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10वीं अथवा हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे)।

(2) संबंधित ट्रेड में दक्षता।

10. **निरर्हता.** –अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता अभिप्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास, चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसकी निरर्हता मानी जावेगी।

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा** –परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

12. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.** – (1) भर्ती वर्ष में एक बार की जावेगी। भर्ती कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय रायपुर के दूरसंचार शाखा द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जावेगा। कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा अन्य समस्या होने पर पुलिस मुख्यालय भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने की तारीख को पदों की वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही विज्ञापन जारी किया जावेगा। इसके लिये माह जनवरी में होने वाली भर्ती के लिये जानकारी 30 अक्टूबर की स्थिति में नवम्बर माह में बुलवाई जावेगी। रिक्तियों की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील एवं ब्लाक कार्यालयों के सूचना पटल पर चिपकाये जाने की व्यवस्था की जावे ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुँच सके।

(3) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा।

(4) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश या निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा 'अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30% (तीस प्रतिशत) आरक्षण रहेगा।

13. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) समिति, अपने द्वारा विहित स्तर के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई एक सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित किया जावेगा।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

(ज) खेल नीति के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।

(झ) इन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा ।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए अर्थात उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए।

(ट) विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।

टिप्पणी– उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छंटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(1) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जावेगी विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उनके नाम के सम्मिलन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी।

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मचारी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

स्पष्टीकरण –शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

(5) **शारीरिक अर्हता.** –

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होना आवश्यक होगा :–

(क) ऊंचाई –168 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिये एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये 165 से.मी) 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) 158 से.मी. या उससे अधिक (शेष राजस्व जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष तथा सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए)

(ख) सीना– बिना फुलाये 81 से.मी. (सामान्य वर्ग हेतु), बिना फुलाये 81 से.मी (अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए), बिना फुलाये 76 से.मी (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए)

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी का अंतर होना आवश्यक है, इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी) (महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी)।

नोट : (1) शारीरिक मापदण्ड के संबंध में छूट का प्रावधान नहीं होगा।

(2) ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में इकाई प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिये।

(2) इन नियमो तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सूची में से उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये है। वास्तविक रिक्तियों के अतिरिक्त आरक्षण नियमो का पूर्णत पालन करते हुए 25% पदो की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी जो प्रकाशन की तारीख से आगामी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक या एक वर्ष की अवधि अथवा जो पहले हो तक ही प्रभावशील होगी। इस अवधि में नये पदो की स्वीकृति पर भर्ती अनुमति अथवा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सवर्ग परिवर्तन, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से जो पद रिक्त होंगे, उनकी पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची में से की जा सकेगी।

(3) सूची मे किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नही हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा मे नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**.– (1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट), शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस अंक में अभिप्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जावेगी। नियुक्तियाँ पदो की उपलब्धता के अधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जाएगी, परन्तु केवल उन्ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जावेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा मे कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त किये हो।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निश्चित की जावेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्मतिथि व प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक विधि मान्य होगी ।

15. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण**. – (1) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर सफल अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, दिए गए दिनांक तथा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन–सूची से हटा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करे, जिसका नाम गुणागुण–सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है।

(2) अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जावेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डो द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा।

16. **सामान्य निर्देश**:– (1) भर्ती प्रक्रिया के संचालन में लगाये गये उप निरीक्षक स्तर तक के अधिकारी की ड्यूटी का आदेश लिखित रूप में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) जारी करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

(2) अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में 100 प्वाईंट रोस्टर के अनुसार ही शीर्ष इकाई द्वारा की जावेगी।

(3) यदि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई एक अभ्यर्थी समय से नियुक्ति पर उपस्थित नही होता है तब मेरिट के अगले क्रम के अभ्यर्थी को लिया जायेगा। मेरिट सूची प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा या अगली चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक, जो भी पहले हो वह प्रभावशील रहेगी।

(4) भर्ती का सभी रिकार्ड एवं रफ कार्य सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद ही नष्ट किया जा सकेगा बशर्ते भर्ती के संबंध में कोई जाँच न चल रही हो या प्रस्तावित न हो अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो।

(5) सभी रिकार्ड स्याही अथवा बाल पेन से लेख किया जावेगा।

(6) शारीरिक नापजोख एवं प्रतीकता में एकरूपता एवं पारदर्शिता के लिये नमूना कार्ड का प्रारूप परिशिष्ट के तौर पर नियम के साथ संलग्न है।

(7) चयनित अभ्यर्थियों पर दिनांक 01.04.2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

17. **निर्वचन**:– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

18. **शिथिलीकरण**:– इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

19. **निरसन तथा व्यावृत्ति**:– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव